


राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:-पं.27(4)(1)/पदो./अभि/2022/8668-84 दिनांक:- 22-07-2022

-आदेश-

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 1999 के नियम 26-33 के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के श्री रामजीलाल मीणा पुत्र स्व.श्री प्रताप राम को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद से जमादार के पद पर वर्ष 2022-23 में उपलब्ध रिक्ति की दिनांक 01.07.2022 के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के पे मैट्रिक्स लेवल -1 में पदोन्नत किया जाता है ।


श्री रामजीलाल मीणा का पदोन्नति पर पदस्थापन अभियोजन निदेशालय, राज., जयपुर में जमादार के रिक्त पद पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है। पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नत पद पर उपस्थिति की दिनांक से देय होंगे। उपरोक्त पदोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक पं0 13(5) साप्र/3/2008 पार्ट जयपुर दिनांक 19.07.2022 द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।


(अब्दुल समद चिश्ती)

अतिरिक्त निदेशक अभियोजन
(अभियोजन)
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन ।
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन / न्याय राजस्थान जयपुर ।
3. समस्त उप निदेशक अभियोजन (मु.) सहित ।
4. सहायक निदेशक अभियोजन (मु.) ।
5. संस्थापन अधिकारी अभियोजन निदेशालय ।
6. संस्थापन शाखा (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) अभियोजन निदेशालय ।
7. सम्बन्धित कार्मिक श्री रामजीलाल मीणा ।
8. रक्षित पत्रावली ।


22.7.22
अतिरिक्त निदेशक अभियोजन
(अभियोजन)
राजस्थान जयपुर